मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 102/2020
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.
रणजीत सिह पुत्र स्व. मनीराम जाति मेंघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।

बनाम

1. खेताराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
2. कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
3. साहबराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
4. लीलूराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
5. ओबीसी बैक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 13.5.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हुबरू हमारे बहाजरी श्री भीम छिम्पा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री बद्रीनारायण जाखड वकील प्रति.सं. जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 16 एमजेडी

1. रणजीत सिह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल सा.धौलीपाल खातेदार राहिन पीएनबी शाखा धौलीपाल

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
123/181	35	23,24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038,
123/182	46	5/1/0.190, 5/2/0.025, 5/3/0.038,
124/182	47	5/1/0.057 पूर्वी दिशा, 5/2/0.034 पूर्वी दिशा

2. कृष्णलाल पुत्र मनीराम 1/4 हिस्सा, जाति मेघवाल सा.धौलीपाल खातेदार राहिन एसबीआई शाखा रोड़ावाली, खेताराम पुत्र मनीराम 1/4 हिस्सा, जाति मेघवाल सा.धौलीपाल खातेदार राहिन एसबीआई शाखा रोड़ावाली, लीलूराम पुत्र मनीराम 1/4 हिस्सा, जाति मेघवाल सा.धौलीपाल खातेदार राहिन पीएनबी शाखा धौलीपाल, साहबराम पुत्र मनीराम 1/4 हिस्सा, जाति मेघवाल सा.धौलीपाल खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
119/183	53	1/1, 2/1, 3/1, 4/1/0.228 प्रे. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2/0.025प्रे. 6/0.202, 7,8,9/0.253 प्रे.
124/182	47	1/1, 2/1, 3/1, 4/1/0.228 प्रे. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 6/2/0.025 प्रे. 7, 8, 9, 10/0.253 प्रे.5/1/0.145 पश्चिमी दिशा, 5/2/0.017 पश्चिमी दिशा

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/625 दिनांक 04.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपनां वहन करेंगे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आंज दिनांक 13.5.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सांगरिया